न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 36/2010

सरकार जरिये तहसीलदार ब्यावर जिला अजमेर

.........**प्रार्थी**

बनाम

1– श्री लाखनसिंह वल्द भूरसिंह कौम रावत सा0 बामनहेडा (मृतक)जरिये वारिसान गोपालसिंह, नारायण सिंह पि0 लाखनसिंह कौम रावत सा0 बामनहेडा

......**अप्रार्थीगण**

अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व
(कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :–

1. श्री शुभकरणसिंह चौधरी, राजकीय अभिभाषक
2. श्री विरेन्द्र सिंह, हेमराज गुप्ता अभिभाषक अप्रार्थी

–: आदेश :–

दिनांक– 24.05.2017

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थीगण के पिता को ग्राम बामनहेडा तहसील ब्यावर जिला अजमेर के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 2220 रकबा 00–02–00 बीघा किस्म बीड वर्ष 2002 में आवंटित की गई थी। पटवारी हल्का द्वारा अप्रार्थी को आवंटित भूमि का कब्जा देने के उपरान्त भी उस पर कृषि कार्य काश्त एवं बुवाई नहीं की गई। कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(3) की पालना नहीं करने कारण अप्रार्थीयान के पिता के पक्ष में किया गया प्रश्नगत भूमि का आवंटन/नियमन निरस्त किया जाकर भूमि सिवाय चक दर्ज किये जाने के आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किया गया। नोटिस बाद तामील प्राप्त। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओ की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थीगण के पिता को ग्राम बामनहेडा तहसील ब्यावर जिला अजमेर के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 2220 रकबा 0–02–00 बीघा किस्म बीड भूमि वर्ष 2002 में आवंटित की गई थी। पटवारी हल्का द्वारा आवंटी को भूमि का कब्जा देने के उपरान्त भी उनके द्वारा आंवटित/नियमित भूमि पर कृषि कार्य काश्त एवं बुवाई नहीं की गई। आवंटी को कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(3) की शर्त अनुसार आवंटित भूमि का काश्त हेतु उपयोग करना चाहिए था, परन्तु आवंटी द्वारा आवंटित भूमि का काश्त हेतु उपयोग नहीं कर आवंटन की शर्तो का उल्लघन किया गया है। अतः ग्राम बामनहेडा तहसील ब्यावर जिला अजमेर के सिवायचक

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

24/5/17

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

आराजी खसरा नम्बर 2220 रकबा 0–02–00 बीघा किस्म बीड का अप्रार्थीगण के पिता के हक में किया गया आवंटन निरस्त योग्य है।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने मुख्यतः निवेदन किया कि राजस्व कैम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय बामनहेडा तहसील ब्यावर में दिनांक 26.06.2002 को आवंटन सलाहकार समिति के सिफारिश के आधार पर ग्राम बामनहेडा स्थित आराजी ख.नं. 2220 रकबा 00–02–00,किस्म बीड जो तत्समय भू संशोधन का अवशेष प्रकरण होने के कारण अप्रार्थीगण के पिता के पक्ष में समस्त तथ्यों की जांच कर विधिवत रूप से आवंटन/नियमन किया जाकर खातेदार दर्ज किया गया। आंवटित भूमि मात्र 2 बिस्वा है जिसकी किस्म बीड है जो कि चारागाह के रूप में उपयोग की जा रही है। प्रार्थी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र **सव्यय खा**रिज फरमाया जावें।

हमने उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। प्रश्नगत आराजी की खसरा गिरदावरी सं. 2059 से 2066 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर आवंटन पश्चात् आवंटी द्वारा किसी भी वर्ष में फसल काश्त नहीं की गई है। चूंकि राज्य सरकार द्वारा भू आवंटन/नियमन के नियमों में पूर्व निर्धारित नियम यथा प्रथम वर्ष में 50% तथा अगले वर्ष में सम्पूर्ण भू भाग पर फसल काश्त करने की शर्त को विलोपित कर दिया है किन्तु आवंटी द्वारा उनके पक्ष में हुये आवंटन/नियमन पश्चात् लगातार लगभग 8–10 वर्षों में एक बार भी काश्त नहीं कर नियम 14(3) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। ग्राम बामनहेडा की जमाबन्दी सं. 2065 से 2068 के अनुसार नियमित भूमि आंवटी के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है। आवंटी द्वारा नियमों की पालना नहीं करने के कारण खातेदारी के हक नहीं मिले हैं। राज. भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 20 के अनुसार ''अतिचारियों को भूमि का आवंटन'' के उप नियम 1 के अनुसार भू संशोधन के अवशेष प्रकरणों की भूमि को सम्बन्धित के पक्ष में नियमन किये जाने का संशोधन किया गया है। इन्हीं संशोधनों के अनुसरण में नियमन, सम्बन्धित के हक में किया गया है जिसके लिये उपरोक्त नियम के नियम 20(2) के अनुसार ''आवंटन के उपरान्त अतिचारी इन नियमों में उपबन्धित आवंटन शर्तो से आबद्ध होगा और उसे खातेदारी अधिकार इस प्रकार प्रोदभूत होंगे मानों उसका मामला इन नियमों के अधीन आवंटन का हो'' के तहत् आवंटी द्वारा उनके हक में नियमित भूमि पर बिल्कुल काश्त नहीं की जाने से नियम 20(2) के तहत् प्रार्थना पत्र नियम 14(4) राज. भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का उपरोक्त परिपेक्ष्य में स्वीकार कर ग्राम बामनहेडा तहसील ब्यावर जिला अजमेर के आराजी खसरा नम्बर 2220 रकबा 00–02–00 बीघा किस्म बीड भूमि का अप्रार्थीयान के पिता के हक में किया गया आवंटन/नियमन निरस्त किया जाता है तथा भूमि सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार तत्काल नामान्तरकरण दर्ज कर राजहित में कब्जा प्राप्त करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24.05.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर अजमेर

24/5/17

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner